पत्रांकः– भवन/बजट–26–योजना (अल्पसंख्यक कल्याण)–03/2025–26..... 9993 (भ)
23/10/26

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल **₹ 41,50,623/– (इकतालीस लाख पचास हजार छः सौ तेईस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्यवन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 41,50,623/– (इकतालीस लाख पचास हजार छः सौ तेईस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदान की जाती हैः–

क्र सं	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय के लिए स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मधेपुरा	34095	Construction of 560 Bedded Minority +2 residential school building for Minority Welfare Department at Rasalpur, Dhuriya in Chousa block of Madhepura district (Including Electrification Work)	346/04.10.2024	41,50,623/– (इकतालीस लाख पचास हजार छः सौ तेईस रूपये)

2 उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यशीर्ष –4225–अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–04–अल्पसंख्यको के कल्याण, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष –0103–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय **विपत्र कोड–03–4225040510103** के विषय शीर्ष–53–मुख्य कार्य–0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा, होंगे।
4. इस राशि के निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्ष्म प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह) 23/10/26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 9993 (भ) पटना, दिनांक– 23/10/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।